बिहार सरकार
राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-15
ई-मेल : scdisability2008@gmail.com
फोन नं0-0612-2215041

सूचना

विषय :- **Access Auditing** के प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ बाधामुक्त वातावरण (**barrier free environment**) उपलब्ध कराने की दृष्टि से सुगम भारत अभियान (**Accessible India Campaign**) केन्द्र सरकार की अतिमहत्वपूर्ण पहल है। बिहार सरकार द्वारा भी इसे प्रमुखता से अपनाया गया है एवं गंभीरता से लागू किया जा रहा है। सरकारी भवनों तथा निजी स्थानों की **Access Auditing** इस अभियान का महत्वपूर्ण अंग है, ताकि पूर्व निर्मित सरकारी भवनों और निजी स्थानों में बाधामुक्त वातावरण (**barrier free environment**) उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक बदलाव किया जा सके। साथ हीं नये प्रस्तावित सरकारी भवनों तथा निजी स्थानों में बाधामुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु **Access Auditing** की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वर्तमान स्थितिनुसार **Access Auditing** के लिए प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों (**Access Auditors**) की संख्या काफी कम है। बिहार राज्य के सम्बन्ध में स्थिति अपेक्षाकृत अधिक दयनीय है। बिहार राज्य में सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों की पूर्ति एवं त्वरित प्राप्ति के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं है। स्पष्टत: है कि राज्य में अधिक संख्या में **Access Auditors (Trained professionals in the field of Access Auditing)** की आवश्यकता है।

उपरोक्त आलोक में कार्यालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार पटना द्वारा **Access Auditing** का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिनांक-09.06.2018 (शनिवार) को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगता प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य से जुड़े कोई भी व्यक्ति अपने बायोडाटा तथा उचित प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन कर सकते है।

आवेदन कार्यालय को ई-मेल या हस्तलिखित/टंकित माध्यम से दि0-01.06.2018 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यालय को किये गये आवेदन के आधार पर योग्य प्रशिणार्थियों के चयन का अधिकार होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल (**Venue**) तथा समय की जानकारी बेवसाईट तथा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को दूरभाष माध्यम द्वारा यथासमय प्रदान की जायेगी।

प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अपरिहार्य स्थितियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।

23.05.2018

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।